



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 6, 1995/वैशाख 16, 1917

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6, 1995/VAISAKHA 16, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली 19 अप्रैल, 1995

का. नि. आ. 99 :— राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) के खंड-12 के उपखंड (1) तथा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार लोक सभा के सांसद श्रीमती संतोष चौधरी तथा मै. डी डी खनोरिया की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इसके लिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के समय समय पर अधिसूचित दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 के का० नि. आ. 76,ड में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में शीर्षक के अंतर्गत :-

“खंड 12 के उप खंड (1) की धारा (i) के अंतर्गत” प्रविष्टि (14) तथा (15) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् “(14) श्रीमती संतोष चौधरी, सांसद (लोक सभा) 26 मार्च, 1995 से निर्वाचित—सदस्य

(15) मेजर (सेवानिवृत्त) डी डी खनोरिया, सांसद (लोक सभा) 26 मार्च, 1995 से निर्वाचित—सदस्य ”।

[संख्या 11(51)/92 रक्षा/(जी एस-Vi)]

हुकम खंद, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :— यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 1983 के का. नि. आ. सं. 76(ड) के अंतर्गत प्रकाशित हुई तथा बाद में इसमें :-

1. दिनांक 18-8-1986 के का. नि. आ. संख्या 290
2. दिनांक 6-4-1987 के का. नि. आ. संख्या 154
3. दिनांक 28-9-1987 के का. नि. आ. संख्या 298
4. दिनांक 28-5-1990 के का. नि. आ. संख्या 110
5. दिनांक 28-6-1990 के का. नि. आ. संख्या 140
6. दिनांक 30-9-1991 के का. नि. आ. संख्या 224
7. दिनांक 30-9-1991 के का. नि. आ. संख्या 225
8. दिनांक 22-6-1992 के का. नि. आ. संख्या 183

9. दिनांक 20-5-1993 के का. नि. आ. संख्या 184

नई दिल्ली 23 मार्च, 1995

10. दिनांक 8-6-1993 के का. नि. आ. संख्या 71
तहत संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th April, 1995

S.R.O. 99.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (1A) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby notify the appointment of Smt. Santosh Chowdary and Maj. D. D. Khanoria, MPs of Lok Sabha as Members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 76(E), dated the 10th October, 1983, as amended from time to time, as follows, namely :—

In the said notification, under the heading “under clause (i) of sub-section (1) of section 12” for the entries (14) and (15), the following entries shall be substituted, namely :

“(14) Smt. Santosh Chowdary, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from 26th March, 1995—Member

(15) Maj. (Retd.) D. D. Khanoria, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from 26th March, 1995—Member”.

[No. 11(51)92]D(GS. VI)
HUKAM CHAND, Under Secy.

Foot Note : The notification was published vide SRO No. 76(E), dated the 10th October, 1983 and subsequently amended vide:

1. SRO No. 290 dt. 18-8-86
2. SRO No. 154 dt. 6-4-1987
3. SRO No. 298 dt. 25-9-1987
4. SRO No. 110 dt. 28-5-1990
5. SRO No. 140 dt. 28-6-1990
6. SRO No. 224 dt. 30-9-1991
7. SRO No. 225 dt. 30-9-1991
8. SRO No. 183 dt. 22-6-1992
9. SRO No. 184 dt. 20-5-1993
10. SRO No. 71 dt. 8-6-1993

का. नि. आ. 100.—केन्द्रीय सरकार सेना अधिनियम 1950 (1950 का 46 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित कमांडेंटों को जो ऐसे सैनिक संगठन के अफसर कमांडिंग हैं जो केन्द्रीय सरकार की राय में किसी ब्रिगेड से कम नहीं हैं, ऐसे अधिकारियों के रूप में निर्धारित करती है जिनके द्वारा उनके अधीन सेवारत उपर्युक्त अधिनियम के अध्वर्धन व्यक्तियों की वास्तविक ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जो उक्त अधिनियम के अधीन द्विजीवन के कमान अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। अधिकारी इस प्रकार हैं :—

- (क) कमांडेंट, चयन केन्द्र, पूर्व उलाहाबाद।
- (ख) कमांडेंट, चयन केन्द्र, मध्य भोपाल।
- (ग) कमांडेंट, चयन केन्द्र, दक्षिण बंगलूर।

[मि. सं. 41776/एजी/डी.वी.-I/1498/रक्षा/(एजी)]
जी.एस.एन. भूति, उप सचिव (एजी)

New Delhi, the 23rd March, 1995

S.R.O. 100.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby prescribes the under-mentioned Commandants as an Officer Commanding a military organisation, which in the opinion of the Central Government, is not less than a Brigade, as the officer by whom the powers, which under the said Act may be exercised by an officer Commanding a Division, shall, as regards persons subject to said Act and who are serving under him, be exercised, namely :—

- (a) The Commandant, Selection Centre, East Allahabad.
- (b) The Commandant, Selection Centre, Central, Bhopal.
- (c) The Commandant, Selection Centre, South, Bangalore.

[File No. 41776|AG|DV-1|1498|D(AG)]
G. S. N. MURTHY, Dy. Secy. (AG)